

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3, महात्मा गांधी नरेगा)

क्रमांक:एफ 1(32)नरेगा/बजट घोषणा/2013

जयपुर,दिनांक

17 APR 2013

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस  
एवं जिला कलेक्टर, समस्त ।

विषय:-महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2012-13 में 100 दिन का कार्य पूर्ण करने वाले परिवारों को स्व रोजगार हेतु प्रेरित करने की दृष्टि से इस वित्तीय वर्ष में रु 2100/- की नकद सहायता उपलब्ध कराने बावत ।

संदर्भ:-इस विभाग का पत्र क्रमांक एफ 1(32)नरेगा/बजट घोषणा/2013  
दिनांक 28.3.2013

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई बजट घोषणा के क्रियान्विति के क्रम में स्व रोजगार हेतु प्रेरित करने की दृष्टि से लाभार्थियों को रु2100/- नकद वितरण किये जाने का शुभारम्भ दिनांक 20.4.2013 को भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र के उदघाटन के समय दिये जाने का निर्णय लिया गया है। इस क्रम में आपके जिले में निम्नानुसार कार्यवाही समय पर सुनिश्चित करवाये:-

- 1) दिनांक 20.4.2013 को आयोजित भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र के उदघाटन के अवसर पर संबंधित ग्राम पंचायत में वर्ष 2012-13 में 100 दिन का कार्य पूर्ण करने वाले परिवारों में से अधिकतम 5 परिवारों को राशि रु 2100/- प्रति परिवार प्रदान कर लाभान्वित किया जावे।
- 2) ग्राम पंचायत में वर्ष 2012-13 में 100 दिन का कार्य पूर्ण करने वाले परिवारों की वयोवृद्ध महिला जिसने वित्तीय वर्ष 2012-13 में कार्य किया हो के नाम से रेखांकित चैक दिया जावे।
- 3) इन परिवारों को स्व रोजगार हेतु प्रेरित किया जावेगा।
- 4) यदि ग्राम पंचायत के पास महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संधारित बैंक खाते में राशि उपलब्ध नहीं हो तो ग्राम पंचायत द्वारा अन्य किसी योजना के बैंक खातों से इस राशि का चैक जारी किया जावे।

- 5) ग्राम पंचायत द्वारा दी गई राशि का पुर्नभरण राज्य मद से इस उद्देश्य के लिए जारी की जाने वाली राशि से किया जावेगा।
- 6) जिलों से विभागीय पत्र दिनांक 2.4.13 एवं 16.4.13 द्वारा वर्ष 2012-13 में, 100 दिन का कार्य पूर्ण करने वाले परिवारों की संख्या माँगी गई थी, जो कि अप्राप्त है। उक्त सूचना शीघ्र उपलब्ध करावे जिससे जिलों को इस बजट घोषणा की क्रियान्विति हेतु आवश्यक धनराशि जारी की जा सके।

भवदीय,



(खजान सिंह)

परियोजना निदेशक एवं उप सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
2. निजी सचिव, सचिव एवं आयुक्त ईजीएस
3. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा जिला परिषद समस्त।
4. विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।



परियोजना निदेशक एवं उप सचिव, ईजीएस